

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका सं. 2790/207 नरपतदान बारठ बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.03.17 की पालना में श्री नरपतदान बारठ व्याख्याता राजस्थानी, राउमावि हरसाणी, गडरारोड, बाडमेर ने अभ्यावेदन दिनांक 27.03.17 को प्रस्तुत कर राउमावि बाडमेर आगौर पचायत समिति बाडमेर में राजस्थानी विषय के पद विरुद्ध द्वितीय श्रेणी अध्यापक लगाया जाना बताकर काउन्सलिंग के दौरान रिक्त पद नहीं दर्शाया गया। उक्त स्थान पुनः काउन्सलिंग दौरान रिक्त दर्शाते हुए पदस्थापन स्थान जारी कराने हेतु लिखा है।

व्याख्याता पद राज्य स्तरिय पद है काउन्सलिंग के दौरान समस्त रिक्त पदों को दर्शाना आवश्यक नहीं है छात्र हित में निर्धारित रिक्तियों का चयन विभाग द्वारा किया जाता है। काउन्सलिंग के दौरान प्रार्थी ने स्वयं द्वारा पदस्थापन स्थान का चयन किया गया। प्रोबेशन काल में कार्यरत व्याख्याता का दो वर्ष से पहले स्थान परिवर्तित नहीं किया जा सकता है न ही दुबारा काउन्सलिंग कराने का प्रावधान है। श्री नरपतदान बारठ का राउमावि बाडमेर आगौर में पदस्थापन नहीं किया जा सकता है अतः श्री बारठ का अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। समस्त सूचित हो।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/अभ्यावेदन/अपील सं० 2790/17 दिनांक 29/05/17
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जोधपुर
2. विधि अनुभाग को पत्र 29826/ए/17 दिनांक 19.04.17 के क्रम में।
3. श्री नरपतदान बारठ व्याख्याता राजस्थानी राउमावि हरसाणी (बाडमेर)
4. गार्ड फंजिका

5. कम्प्यूटर अनुभाग

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर